न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

(31)

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 339–दो/2014 – विरूद्व – आदेश दिनांक 29–10–2013 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण कमांक 61 अ–6/2004–05 अपील

गोविंदप्रसाद तिवारी पुत्र स्व. कन्हैयालाल तिवारी

मृत वारिस

1– श्रीमती मीना पत्नि स्व0 गोविन्दप्रसाद तिवारी

2– श्रीमती संध्या पत्नि बसंत दुबे

पुत्री स्व0 गोविन्दप्रसाद तिवारी निवासीगण

ग्राम गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर

3– श्रीमती अनीता पत्नि अनिल दुबे पुत्री

स्व0 गोविन्दप्रसाद तिवारी निवासी जबलपुर

4– श्रीमती सुनीता पत्नि संजय मिश्रा

स्व0 गोविन्दप्रसाद तिवारी निवासी गोटेगॉव

जिला नरसिंहपुर

5– श्रीमती बिनीता पांडेय पत्नि कुलदीप पांडेय

स्व0 गोविन्दप्रसाद तिवारी निवासी जबलपुर

6– अजय तिवारी पुत्र स्व0 गोविन्दप्रसाद तिवारी

निवासी सगरा तहसील गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर ---आवेदकगण

विरूद्व

महेश प्रसाद पुत्र रामलाल मिश्रा, निवासी गांधीवार्ड

गोटेगांव तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर ----अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

(अनावेदक के पैनल लायर श्री योगेन्द्रसिंह भदौरिया)

आ दे श

(आज दिनांक 15-01-2019 को पारित)

अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 61 अ–6/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–10–13 के विरूद्व मध्य प्रदेश राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी गोटेगॉव व्दारा प्रकरण क्रमांक 45 अ-6/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-2-2004 के विरूद्व स्वर्गीय गोविन्द प्रसाद तिवारी ने अपील प्रस्तुत की, जो अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 61 अ-6/ 2004-05 अपील पर पॅजीबद्व की गई। सुनवाई के दौरान अपीलांट के अभिभाषक की अनुपस्थिति पर आदेश दिनांक 12-3-2007 से प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया। आदेश दिनांक 12-3-2007 को निरस्त करने एंव प्रकरण पुर्नस्थापन की मांग करते हुये अपीलांट के अभिभाषक ने अवधि विधान की धारा-5 सहित आवेदन प्रस्तुत किया । अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने पक्षकारों के सुनकर आदेश दिनांक 29-10-13 पारित किया तथा आवेदक का पुर्नस्थापन आवेदन अमान्य कर दिया। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के इसी आदेश के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे निगरानी में बदलकर सुने जाने हेतु आवेदन आने पर निगरानी में बदलकर यह आदेश पारित किया जा रहा है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों ने लिखित बहस प्रस्तुत की। लिखित बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष व्दारा लिखित बहस में अंकित तथ्यों पर विचार करने के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 61 अ-6/ 2004-05 अपील की आदेश पत्रिका 29-6-06 पर दो पक्षों के हस्ताक्षर है इसके वाद पेशी 12-9-06, 20-11-06, 22-1-07, 20-2-07 की आदेश पत्रिका पर अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं है जिसके कारण अपर आयुक्त जबलपुर संभाग ने आदेश दिनांक 12-3-07 से प्रकरण अनुपस्थिति के

कारण खारिज किया है। इस आदेश को निरस्त कर प्रकरण पुर्नस्थापन हेतु अपीलार्थी की ओर से आवेदन दिया गया तथा पुर्नस्थापन आवेदन के तथ्यों के पुष्टिकरण में शपथ पत्र दिया गया है। पुर्नस्थापन आवेदन में बताया गया है कि अपीलार्थी अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो रहा था और अधिवक्ता व्दारा आश्वासन दिया गया गया कि उक्त अपील में प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होते रहेंगे और आवश्यकता होने पर सूचित करेंगे, किन्तु अधिवक्ता ने कोई सूचना नहीं दी। पुर्नस्थापन आवेदन के पद 6 में बताया गया है कि विषम परिस्थितियों के कारण अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सके और न ही उनके व्दारा सूचना दी गई जिसके कारण आवेदक विश्वास में रहा कि अपील लम्बित है। जैसे ही अपील अनुपस्थिति में खारिज की जानकारी हुई, सत्यप्रतिलिपि प्राप्त कर तत्काल आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। अधिवक्ता की गलती के कारण आवेदक को दंड नहीं देना चाहिये।

अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग के पास आवेदक स्पष्ट बता रहा है कि विलम्ब का कारण अधिवक्ता की त्रृटि है, विलम्ब क्षमा कर न्यायदान करना चाहिये। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग के प्रकरण क्रमांक 61 अ-6/ 2004-05 अपील की आदेश पत्रिका दिनांक 20-2-07 के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह आदेश पत्रिका अपर आयुक्त की अनुपस्थिति में उनके रीडर व्दारा लिखकर आगामी पेशी 12-3-07 नियत की है एंव 12-2-07 को ही अपर आयुक्त ने पक्षकार में अपीलांट को अनुपस्थिति मानकर अदम पैरबी में निरस्त किया है।

1. रामकुमार सिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन 2000 रा.नि. 351 एंव रामविलास विरूद्ध शिवनारायण 1995 रा.नि. 225 में बताया गया है कि पेशगार (रीडर) व्दारा दी गई तारीख न्यायालय व्दारा दी गई तारीख नहीं है इस तारीख पर अनुपसंजाति के व्यतिक्रम के आधार पर मामला एकपक्षीय नहीं किया जा सकता।
2. रफीक विरूद्ध मुंशीलाल ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1400 पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय का एंव सुभानशाह विरूद्ध मोहम्मद निसार शाह 1995 रा.नि. 402 पर न्याय दृष्टांत हैं कि अभिभाषक की त्रृटि के लिये पक्षकार को दंडित नहीं किया जाना चाहिये।

स्पष्ट है कि उक्त पर अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने ध्यान न देते हुये अभिभाषक की त्रृटि के कारण आवेदक को न्याय पाने से बंचित करना प्रतीत होता है जिसके कारण अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा पारित आदेश दिनांक 12-3-07 एंव 29-10-13 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 61 अ-6/ 2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-3-07 एंव 29-10-13 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एंव प्रकरण अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण में गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करें।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर